429

संख्या–835/X–2–2016–12(54)/2012

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 28 मार्च 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना **"वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण"** के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–833/X–2–2016–12(54)/2012 दि0 28.03.2016 के द्वारा उक्त विषयक योजना अन्तर्गत मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य में ₹15.63 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग किया गया था। अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना **" वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण "** के अन्तर्गत प्रस्तावित केदारनाथ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत धनपुर रेंज गोचर के राजि कार्यालय भवन निर्माण कार्य लागत ₹30.63 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0–2322/X–2–2015–12(54)2012 दिनांक 28.08.2015 द्वारा पूर्व में अवमुक्त ₹15.00 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि **₹15.63 लाख (रुपन्द्रह लाख त्रेसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दि0 01.04.2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
2. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है, अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....2

5. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2009) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4406–वानिकी वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण और विकास, 04–वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलॉटमैन्ट ID संख्या– 51603270556 दिनांक 28.03.2016 संलग्न है।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.15 द्वारा प्रदत्त आधिकारों एवं पुनर्विनियोजन विषयक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2016 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

संख्या– 835 /X–2–2016–12(54)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

428A

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 835/X-2-2016-12(54)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1603270556

आवंटन पत्र दिनांक 28-Mar-2016

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और विकास

04 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का न

00 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्म

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	10000000	1563000	11563000
29 - अनुरक्षण	3000000	0	3000000
	13000000	**1563000**	**14563000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1563000

Yosh